न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/11

मदन लाल आत्मज बाला जाति मीणा आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम व्यास बावडी तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू लाल आत्मज मन्ना जी जाति मेघवाल निवासी महरामपुरा तहसील व जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महावीर प्रसाद, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम मेहरामपुरा तहसील जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी के संयुक्त खाते एवं काश्त काश्त की आराजी है जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी की भूमि वादी की कृषि भूमि के नजदीक होने से प्रतिवादी वादी की उत्तरी दिश में स्थित लगभग 02 बीघा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उसके कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादी का वाद डिक्री किया जावे प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे तथा न ही ऐसा किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी ने जो निर्माण सामग्री वादी की उक्त कृषि भूमि पर डाली है

उसे प्रतिवादी के खर्चे पर उठवाया जावे तथा प्रतिवादी भविष्य में वादी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं न ही निर्माण करे । दौराने वाद प्रतिवादी उक्त भूमि पर निर्माण करने में सफल हो जावे तो उसे प्रतिवादी के खर्चे पर तुडवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाबदावा बन्द नहीं किया है और न ही अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को डिक्री करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है न ही तामील हुई है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.10.2015 को रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत थी और जिसको बिना सूचना दिये लोक अदालत में रखा गया । अपीलान्ट का जवाब बन्द नहीं किया गया है अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई है । अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिये गये हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपील में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो वादी उपस्थित हुआ है और ही प्रतिवादी उपस्थित हुआ है और इसी दिन दावा डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है और न ही पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार कोई राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/4/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा